

~~To be replied in Hindi~~

RTI MATTER/TIME-BOUND

No.A-43020/ 01 /2017-RTI -3498
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

O/o C. R. Section (RTH)

Dairy No. 1244599/2017

Date 3/18/2017

New Delhi, Dated the 24th August, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application filed by Shri Vishnu Chand Gupta under the Right to Information Act, 2005 – transfer thereof.

This Ministry has received letter No. MORLY/A/2017/00228 dated 21/08/2017 from the Railway Board vide which they have transferred the application dated 22/05/2017 of Shri Vishnu Chand Gupta under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 for providing information in respect of Point No. 6 (received on 23/08/2017).

2. Since the information sought vide Point No. 6 of the application viz. 'Fixing of Red/Blue lights on the vehicles' comes under the purview of the Ministry of Road Transport & Highways, the application is transferred under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 to that public authority for providing available information.

RTI

802

[Deputy Secretary (R) & CPIO]

To

The Nodal CPIO,
Ministry of Road Transport & Highways
Transport Bhawan
New Delhi.

Copy for information to :

Shri Vishnu Chand Gupta
S/o Shri Ram Sahai Gupta
Vill. Shekhpurgadhu
Nazibabad
Distt. Bijnor – 246 763
Uttar Pradesh.

Scanned & send to
US (Muz) Mr. Dhandal
3/18
80/RTI/17

(He is requested to contact the above-mentioned CPIOs/Public Authorities for information in the matter).

Sham
04/09/17

23 AUG 2017
1076469



GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

Most Urgent
CIC Court Case Matter
New Delhi, Dated:-21/08/2017

No. MORLY/A/2017/00228

Dy. No. 3498/2017-RTI
24/08/17

To
Central Information officer,
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi-110001

Subject: - Information sought under RTI Act, 2005 filed by Sh. Vishnu Chand Gupta.

Sir,

Mr. Vishnu Chand Gupta, s/o Ram Sahai Gupta, Behind Nahar Colony, Vill-Shekhurgadu, Nazibabad, Bijnor, UP- 246763, has sought information under the Right to Information Act, 2005. Since the subject of item no 6 is closely related to functioning of your department as such, a copy of the application was forwarded as per the provisions contained in Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 for necessary action at your end.

It is requested to furnish the information for item no 6 to applicant directly at your end. If any details/papers are required to dispose this case, the same may please be obtained from this office.

21/8/17

(D. K. Biswas)
DD (PG) & APIO (Co-ord.)
RTI Cell, Railway Board.
Rly- 43849, 43908, P&T- 011-23384572

DA: - As above.

Copy to: (1 Mr. Vishnu Chand Gupta, s/o Ram Sahai Gupta, Behind Nahar Colony, Vill-Shekhurgadu, Nazibabad, Bijnor, UP- 246763. As the case has been transferred for item no 6, you are advised to correspond now onwards with above said CPIO.

M/o RT & HW
23/08/17

SK HS
24/08/17

DA (PS) - 1, 4, 5, 9
DA (A) - 7
DA (DA) - 6
NRI - 2, 11, 11
65066
1/1/11

सेवा में,

श्रीमान अपील अधिकारी/रेल भवन
नई दिल्ली

MORLY/R/2017/01825
MORLY/A/2017/0028



विषय : मांगी गयी सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 22-05-2017 को 11 बिन्दुवार सूचना रजिस्टर्ड डाक नं० एआरयू 682217008 आईएन के द्वारा जनसूचना अधिकारी, रेल भवन नई दिल्ली से मांगी गयी जिसका सूचना शुल्क दस रुपये भारतीय पोस्टल आर्डर नं० 36 एफ- 581066 के द्वारा अदा भी किया गया जिसके सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी द्वारा पोस्टल आर्डर वापिस कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12-06-2017 को रजिस्टर्ड डाक नं० एआरयू 681778854 आईएन के द्वारा सूचना शुल्क, दस रुपये भारतीय पोस्टल आर्डर नं० 36 एफ- 579535 के द्वारा अदा भी किया गया लेकिन प्रार्थी को सूचना न दिये जाने के कारण प्रार्थी को आपके समक्ष अपील करने की आवश्यकता पडी है।

अतः प्रार्थी का आपसे निवेदन है कि उपरोक्त जनसूचना अधिकारी को आदेपित कर मांगी गयी सूचना को प्रार्थी को दिलवाने की कपा करें।
धन्यवाद।

दिनांक - 28/7/2017

प्रार्थी

विष्णु चंद गुप्ता
पुत्र राम सहाय गुप्ता
नहर कालोनी के पीछे
ग्राम षेखपुरगढ़ नजीबाबाद बिजनौर

By Regd. Post

RTI MATTER

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

No. MORLY/A/2017/00228

NEW DELHI, DATED: 02.08.2017

The Appellate Authority &
Addl. General Manager,
Northern Railway,
GM Office, Baroda House,
New Delhi.

Sub: Information sought under RTI Act, 2005 filed by Shri Vishnu Chand Gupta.


Kindly refer to 1st appeal submitted to this office by Shri Vishnu Chand Gupta and is being transferred to Northern Railway for items **no 8, 10 & 11** taking appropriate action for its disposal.

In this connection, it is informed that Shri Vishnu Chand Gupta initial application received/registered in this office vide case ID No. MORLY/A/2017/00228 alongwith initial RTI application No MORLY/R/2017/01825 dated 22.05.2017 requesting to furnish the information as per provisions of RTI Act, 2005.

In this connection, it is informed that Initial application has already been transferred on-line to Northern Railway on 23.06.2017

It is requested to furnish the information for items no 8, 10 & 11 to the applicant directly at your end. If any details/papers are required to dispose this case, the same may please be obtained from the appellant directly.

DA : AS ABOVE



(D.K. Biswas)

DD (PG) & APIO/RTI Cell
Railway Board.

Copy to : Shri Vishnu Chand Gupta, S/o Ram Sahai Gupta, Behind Nahar Colony, Vill- Shekhpurgad, Nazibabad, Bijnor, UP- 246763, for information. He is further advised to correspond with the above Appellate Authority, if need be, in future.



OK
Dl. Issue
2-8-17

वा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी

रेल भवन नई दिल्ली

विषय- जन सूचना कानून 2005

संबंध में

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि न 5 के अंतर्गत निम्न प्रश्नों के प्रमाणित उत्तर राष्ट्रभाषा हिन्दी में 1-11-2014 भारत समय 30 दिन के अन्दर देने की कृपा करें।

1- दिनांक 8-10-2016 को किस अधिकारी की परमिशन लेकर श्री महाकाली शोभायात्रा के मंच को रेलवे परिसर जीबाबाद में लगाने की अनुमति दी गई उसकी प्रमाणित प्रति दे

क- यदि अनुमति थी तो किस अधिकार से अनुमति दी गई नियम की प्रमाणित प्रति दे

ख- किस अधिकारी की अनुमति से परमिशन दी गई यदि

2- यदि उक्त मंच अनाधिकृत रूप से लगा था तो रेलवे एक्ट 1947 के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं की गई

क- यदि नहीं की गई तो कब तक की जाएगी

ख- कार्रवाई न करने वाले जीआरपी व आरपीएफ पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है नियमों की प्रमाणित प्रति दे

3- प्रवर मण्डल अभियन्ता प्रथम कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक मुरादाबाद को दिनांक 31 मार्च 2014 को रजिस्ट्री न0 एआरयू 001541285 आईएन के

द्वारा रजिस्ट्री की गई थी उस आपत्ति के आधार पर उनके द्वारा क्या सूचना उपलब्ध करायी गई। यदि नहीं करायी गई तो क्यों नहीं करायी गई या कब तक करायी जाएगी।

4-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र दिनांक 9-4-2012 के केस नं० 1880/24/17/2012/ओ०सी० के संबंध में रेलवे सुरक्षा बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई प्रमाणित प्रति दे।

5-पत्र सं० 2012/सुरक्षा अपराध/41/रा०गा०म०आ०/22 दिनांकित 27-4-2012 के संबंध में रेलवे सुरक्षा बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई। तथा जांच अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा क्या रिपोर्ट उच्चाधिकारियों व रेलवे बोर्ड को प्रेषित की गई प्रमाणित प्रति दे।

6-रेलवे विभाग में किस स्तर का अधिकारी लाल और नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत है।

7- पिछले तीन वर्षों में रेलवे विभाग द्वारा नजीबाबाद के लिए कितना बजट आया और किस-किस मद में खर्च किया गया प्रमाणित प्रति दे। तथा संबंधित सभी भुगतानों की रसीद की छायाप्रति भी देने की कृपा करें।

8- रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के परिसर में लगाये जाने वाले ठेले/ई रिक्शा स्टैण्ड/खोखे किस नियम के अर्तगत लगाये जा सकते हैं यदि लगाये जा सकते हैं तो नियमों की प्रमाणित प्रति दे यदि नहीं लगाये जा सकते तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

9- मुरादाबाद मण्डल में रेलवे जीआरपी/आरपीएफ/सिविल पुलिस के द्वारा ड्यूटी पर गुटखा पान मसाला सिगरेट शराब व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई का

प्रावधान है। तथा पिछले तीन वर्षों में सूचना न दिये जाने तक किस-किस पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई प्रमाणित प्रति दे।

10-ट्रेनों में प्राइवेट हाकरों द्वारा जो पानी, खाना, अन्य समान आदि बेचा जाता है वह किस अधिकारी की परमिशन से बेचा जाता है तथा यदि इस प्रकार का कार्य अवैध है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई यदि नहीं की तो कार्रवाई कब तक की जाएगी।

11 ट्रेनों में कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ पिछले दो वर्षों में फ्री में यात्रा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यदि नहीं की गई तो कब तक की जाएगी।

दिनांक - 22/5/11

खेगल : 1

0 धुबना प्रान्ति के अधिका उर
के लिये का पोस्टल मॉडल
नं. - 36F 521066

प्राची

खिलाफ - चन्द्र गुप्ता
महेश कालीनी के पीछे
गांव - शंखपुर गढ़
नामगुजराय
खेगल
रूपी